न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – अरूण कुमार जैन R.A.S.

वाद पत्र संख्या :– 110/2021 (पुराना) दायर तारीख :– 30.09.2021
66/2022 (नया इस न्यायालय का)

1. नाथू लाल कुमावत पुत्र स्व. श्री रामनाथ कुमावत
2. रामेश्वर लाल पुत्र स्व. श्री रामनाथ कुमावत
3. नेमीचन्द पुत्र स्व. श्री रामनाथ कुमावत
4. भोलू राम पुत्र स्व. श्री रामनाथ कुमावत
5. सीताराम कुमावत पुत्र स्व. श्री रामनाथ कुमावत
6. भैरू लाल कुमावत पुत्र स्व. श्री रामनाथ कुमावत
7. गोपाल लाल पुत्र स्व. श्री रामनाथ कुमावत
   समस्त जातियान कुमावत (कुम्हार), निवासीयान चांदसिंहपुरा, पोस्ट ढीण्ढा, जोबनेर जिला जयपुर

............वादीगण

बनाम

1. कजोडी देवी पुत्री स्व. श्री रामनाथ कुमावत पत्नि श्री कैलाश चन्द, जाति कुमावत (कुम्हार), निवासी चांदसिंहपुरा, पोस्ट ढीण्ढा तहसील जोबनेर जिला जयपुर
2. मनभर देवी पुत्री स्व. श्री रामनाथ कुमावत पत्नि स्व. श्री रामकिशोर, जाति कुमावत (कुम्हार), निवासी चांदसिंहपुरा पोस्ट ढिण्ढा तहसील जोबनेर जिला जयपुर हाल निवासी प्लॉट नं. 28, राष्ट्रीय नगर, सिरसी रोड, मीणावाला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

.......प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,

अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1. श्री सुरेश कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्ता वादीगण
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित
3. सरकार पैरोकार

निर्णय दिनांकः– 12.05.2023

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 के कैम्प कोर्ट ढीण्ढा में पेश हुई। उक्त प्रकरण पूर्व मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 188 के अंतर्गत दिनांक 30.09.2021 को प्रस्तुत किया गया था। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश कमांक सम/2022/4190–4200 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा उक्त प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में वाक्यात इस प्रकार है कि वादीगण और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. श्री रामनाथ के नाम की

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

आराजीयात खाता संख्या 77 खसरा नम्बर 574 रकबा 1.3910 हैक्टेयर वाके ग्राम चांदसिंहपुरा, तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. श्री रामनाथ का हिस्सा 8/11 दर्ज व अंकित है। इसी प्रकार वादीगण और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. श्री रामनाथ के नाम की आराजीयात खाता संख्या 78 खसरा नम्बर 570/2 रकबा 1.0116 हैक्टेयर वाके ग्राम चांदसिंहपुरा, तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. श्री रामनाथ का हिस्सा 3/4 दर्ज व अंकित है। इसी प्रकार वादीगण और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. श्री रामनाथ के नाम की आराजीयात खाता संख्या 56 खसरा नम्बर 570/1 रकबा 1.1886 हैक्टेयर वाके ग्राम चांदसिंहपुरा, तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. श्री रामनाथ का हिस्सा 5/188 दर्ज व अंकित है।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. श्री रामनाथ की उपरोक्त मद संख्या 1 में वर्णित समस्त खातेदारी में पिता का नाम हीरालाल दर्ज है। जबकी वास्तव में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. श्री रामनाथ के पिता का नाम जग्गु था और रामनाथ के समस्त अन्य दस्तावेजात में व मृत्यु प्रमाण पत्र में रामनाथ पुत्र जग्गु है।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता रामनाथ के वारिसान का सजरा खानदान वादपत्र के मद संख्या 3 में वर्णित है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता रामनाथ की मृत्यु दिनांक 07.08.2019 को हो चुकी है व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की माता बाला देवी पत्नि रामनाथ की मृत्यु भी दिनांक 28.02.2017 को हो चुकी है।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता रामनाथ के पिता जग्गु की मृत्यु वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता रामनाथ की अल्पआयु में ही हो गई थी जिससे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता रामनाथ की खातेदारी में पर्चा सैटलमेंट के समय से ही वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता रामनाथ की पिता जग्गु के भाई हीरालाल का नाम दर्ज हो गया था। क्योंकी स्व. श्री रामनाथ उस समय अपने पिता जग्गु के भाई हिरालाल के पास ही रहते थे जिससे वाद संख्या की मद संख्या 1 में वर्णित समस्त आराजीयात खातेदारी में पर्चा सैटलमेंट से ही वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रामनाथ पुत्र जग्गु के स्थान पर रामनाथ पुत्र हीरालाल दर्ज व अंकित हो गया और वर्तमान में भी उपरोक्त खातेदारी में यही नाम चला आ रहा है।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता की मृत्यु होने पर स्व. श्री रामनाथ का मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम रामनाथ पुत्र जग्गु से बनाया गया और उपरोक्त खातेदारी में फोती नामान्तरण खुलवाने के लिए पटवार हल्का से सम्पर्क किया तो उन्होने खातेदारी में नाम रामनाथ पुत्र हीरालाल होने से नामान्तकरण दर्ज करने से इंकार कर दिया। जिसके पश्चात वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 व 2 ने राजस्व रिकॉर्ड निकलवाया तो पता चला कि उपरोक्त खातेदारी में वादीगण के पिता के नाम रामनाथ पुत्र हीरालाल ही दर्ज है जबकि वादीगण के दादा का नाम वास्तव में जग्गु ही था।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता रामनाथ ने ना तो अपनी खातेदारी भूमि मे ना तो लोन लिया गया और ना ही कोई अन्य राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित कार्य किया जिससे उनको राजस्व रिकॉर्ड मे चली आ रही त्रुटि का कभी ध्यान नही चला। वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के पिता की मृत्यु के पश्चात ही इस त्रुटि के बारे में वादीगण को जानकारी हुई इसलिए यह वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

वाद पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पिता अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहे है और उनके साथ ही वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 व 2 भी उपरोक्त पुश्तैनी आराजीयात पर काबिज काश्त है। उपरोक्त आराजीयात पर काश्त करने के दौरान राजस्व रिकॉर्ड मे चली आ रही इस त्रुटि का ज्ञान वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को नही हुआ।

वाद पत्र की मद सं0 1 वर्णित कृषि भूमि आराजीयात खाता सं0 77 ख0नं0 574 रकबा 1.3910 हैक्टेयर वाके ग्राम चांदसिंहपुरा, तह0 जोबनेर जि0 जयपुर व खाता सं0 78 ख0न0 570/2 रकबा 1.0116 है0 वाके ग्राम चांदसिंहपुरा, तह0 जोबनेर जिला जयपुर एवं खाता सं0 56 ख0न0 570/1 रकबा 1.1886 है0 वाके ग्राम चांदसिंहपुरा, तह0 जोबनेर जिला जयपुर मे दर्ज खातेदार रामनाथ पुत्र हीरालाल के दर्ज हिस्से की आराजीयात को वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम बराबर–बराबर हिस्से में घोषित करने की कृपा करे व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामत करने की कृपा करे।

तहसीलदार, जोबनेर से प्राप्त जवाब दिनांक 12.05.2023 के द्वारा भी उपरोक्त आराजीयात रामनाथ पिता हीरालाल के नाम से राजस्व रिकार्ड भू–प्रबन्ध खतोनी 2011–29 में दर्ज होना बताया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने स्वयं उपस्थित होकर मजमेआम वादी के वाद को स्वीकार किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता वादीगण को मजमेआम में सुना गया। बहस पर चिन्तन–मनन किया गया। वादीगण का वाद मुताबिक वाद पत्र डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

वादीगण का वाद मुताबिक वाद पत्र के अनुसार राजस्व रिकार्ड में रामनाथ पुत्र हिरालाल के दर्ज हिस्से की आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम बराबर हिस्से में की जाती है। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने हेतु तहसीलदार, जोबनेर को तहरीर जारी हो। मुताबिक निर्णय डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2023 को टंकित कराया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

12/05/2023

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर